Shri Gangwani Sir

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:– प0 3(24)नवि/3/2003 पार्ट   जयपुर, दिनांक: 27 DEC 2004

:: परिपत्र ::

नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के नियमन एवं निजी आवासीय योजनाओं की स्वीकृति के मामलों में समयावधि में कार्यवाही नहीं होने के फलस्वरूप सरकार को हो रही राजस्व हानि एवं जनता को हो रही परेशानी के निराकरण के संबंध में दिनांक 9.9.04 का माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापक विचार–विमर्श के बाद लिये गये निर्णयों के अनुसरण में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में :– उक्त धारा 90 बी की उपधारा (4) के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों की संक्षिप्त जांच करके आदेश पारित करने की समयावधि 60 दिन निर्धारित है। नियमन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त समयावधि का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिसके फलस्वरूप भारी संख्या में नियमन के प्रार्थना पत्र लम्बित हो गये है। जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है:–

   (i) नियमन हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 31.3.05 तक अनिवार्य रूप से किया जावें।

   (ii) नियमन हेतु अब प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि 60 दिन में करके पट्टों का निष्पादन किया जावें।

2. अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने के लिये निष्पादित पावर ऑफ अटार्नी पर स्टेम्प शुल्क लेने के सम्बन्ध में :– राजस्थान वित्त अधिनियम 2004 के द्वारा स्टेम्प अधिनियम में संशोधन करके अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटार्नी पर निम्न दर से स्टेम्प शुल्क लेने का प्रावधान किया है

(48)(44)

(i)	पिता, माता, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, के पक्ष में निष्पादित होने पर	2,000/- रुपये
(ii)	उक्त रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित होने पर	पावर ऑफ अटार्नी में वर्णित सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का 2%

जयपुर विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों में सम्पादित विभिन्न कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत उपरोक्त पावर ऑफ अटार्नी पर नियमानुसार देय स्टेम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करें तथा अपर्याप्त स्टाम्प युक्त पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करें।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना कठोरता से करें। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने या उपेक्षा करने की कार्यवाही को सरकार गम्भीरता से लेगी।

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
7. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
8. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर।
9. संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
11. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में आपके स्तर पर स्थानीय निकाय को निर्देशित करें।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(419)
(425)